संख्या-33/2021/1142/77-3-2021-04(बजट)/2019

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 21 जून, 2021

विषयः-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-514/यूपीडा/08/147 दिनांक 14.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य' मद में रू0 110679.00 लाख का प्राविधान किया गया है। शासनादेश सं0-25/2021/873-77-3-21-2021 दिनांक 04.05.2021 द्वारा रू0 4000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। इसी क्रम में बजट प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 70679.00 लाख (रू0 सात सौ छः करोड़ उन्यासी लाख मात्र) परियोजना के मूल सिविल कार्यों हेतु निर्गत करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि का आहरण यूपीडा के बैंक खाते में किया जायेगा।

(2) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यूपीडा द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दि0 22.03.2021 तथा शा0 संख्या-2/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2002 दिनांक 10.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) प्रशासकीय विभाग धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 24-वृहद निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-33/2021/1142(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य, वरिष्ठ व कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।